लोक सभा सचिवालय

शोध और सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

लार्डिस सं. 2/2013/ ई एफ

अप्रैल 2013

डीजल ईंधन : मांग, राजसहायता और मूल्य निर्धारण

अर्थव्यवस्था में डीजल ईंधन की मांग

पेट्रोलियम ईंधनों के प्रमुख घटकों में से एक डीजल ईंधन का अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न किस्म के प्रयोजनों के लिए डीजल का उपभोग किया जाता है। भारत, डीजल के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे तेल (प्रमुख कच्चा माल) पर बहुत अधिक निर्भर है। इससे अनेक प्रकार की चिंताएं पैदा होती हैं जिनमें मूल्य निर्धारण तंत्र भी शामिल है जो कि एक तरफ प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और संसाधन आवंटन को और दूसरी तरफ चालू खाते और राजकोषीय शेष को भी प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, डीजल की कीमतें और इसकी निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रयासों पर नीति निर्माताओं का हमेशा ध्यान लगा रहता है।

विद्यमान ईंधनों में, डीजल का प्रयोग भारत में अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। डीजल के इस्तेमाल से प्राप्त ऊर्जा का मुख्यत: निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है:—

- परिवहन: (एक) माल: रेलवे (भाड़ा), समुद्रीय (कैरियर्स, लाइनर्स), सैन्य वाहन, भारी और हल्के व्यावसायिक वाहन; (दो) यात्री: रेलवे, रोडवेज [बसें, व्यक्तिगत वाहन (कार, उपयोगिता वाहन)], जलमार्ग (मोटर-बोट, स्टीमर, फेरी, कैटामारन, नौका, क्रूज, पोत);
- विद्युत उत्पादन: विद्युत संयंत्र, औद्योगिक रक्षित, विद्युत, बैक-अप जनरेटर (बड़ी व्यावसायिक और आवासीय इकाइयां);
- औद्योगिक उपकरण;
- कृषि उपकरण; और
- सैन्य उपकरण।

डीजल का उपयोग देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 40 प्रतिशत क्रियाकलापों में किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के कुल उपभोग का लगभग 44% डीजल होता है। 65 प्रतिशत डीजल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में किया जाता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.6 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों से बेचा जाता है और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर तेजी से पड़ता है। यह विशेष चिन्ता का विषय है कि अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में संचालित होता है जिसमें भारत में लगभग सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र, सड़क द्वारा यात्री और माल परिवहन दोनों का बड़ा भाग और औद्योगिक उद्यम आते हैं।

जीवाश्म ईंधन विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों का विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसके कारण आर्थिक क्रियाकलाप के लिए आवश्यक निवेश के रूप में सरकार की निरंतर भागीदारी आवश्यक हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। आज भारत में आर्थिक क्रियाकलाप में प्रगति से मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रयोग और परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में वृद्धि निर्धारित होती है। किंतु, भिन्न-भिन्न ईंधनों के उपभोग में अलग-अलग दरों पर वृद्धि होती है और इस तरह ईंधन के कुल उपभोग में उनका हिस्सा तद्नुसार परिवर्तित होता रहता है।

भारत की वर्तमान ऊर्जा में तेल और गैस का उपभोग 37.8 प्रतिशत होता है। इसमें से तेल का हिस्सा 29 प्रतिशत है। तेल उपभोग में डीजल का हिस्सा लगभग 44 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में डीजल के उपभोग का पैटर्न निम्नवत् है:

सारणी-1 भारत में डीजल के क्षेत्र-वार उपभोग का पैटर्न

क्रम सं.	क्षेत्र/उपभोक्ता श्रेणी	उपभोग (%)
1.	ट्रक	37
2.	यात्री कार	15
3.	बसें	12
4.	कृषि	12
5.	उद्योग	10
6.	विद्युत जनरेटर	8
7.	रेलवे	6
कुल		100

ग्राफ-1: डीजल का उपभोग पैटर्न (%)

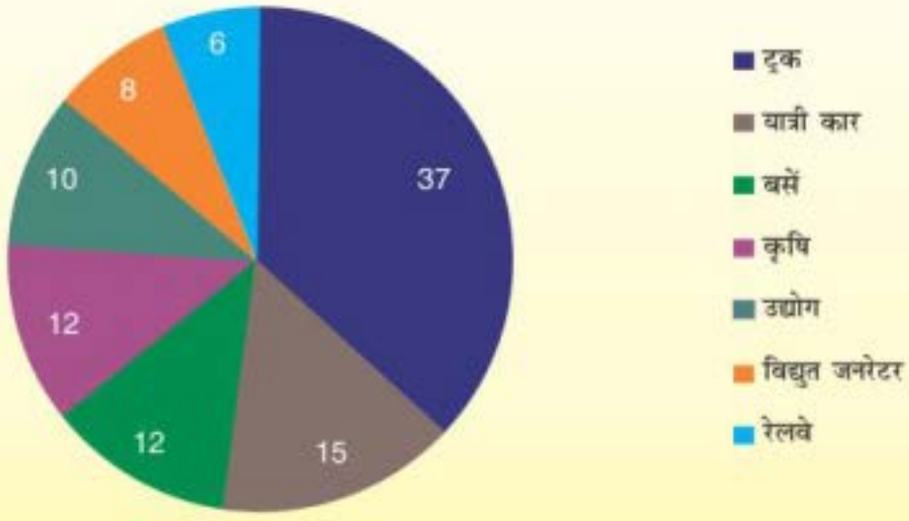

जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों से नियंत्रण हटाने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर बढ़ने के साथ डीजल के उपभोग में वृद्धि हो गई है। 2011-12 के दौरान डीजल के उपभोग में वृद्धि 7.80% रही है जो कि 2010-11 में दर्ज की गई 6.80% की विकास दर से भी अधिक थी। इसके विपरीत, पेट्रोल के उपभोग में वृद्धि 2010-11 में 10.70% के मुकाबले 2011-12 में गिरकर 5.60% हो गई। 2002-03 से भारत में डीजल के उत्पादन, आयात, निर्यात और उपभोग का ब्यौरा सारणी-2 में दिया गया है:

सारणी-2: 2002-03 से भारत में डीजल का उत्पादन, आयात, निर्यात और उपभोग

वर्ष	डीजल का उत्पादन (1,000 मीट्रिक टन)	डीजल का आयात (1,000 मीट्रिक टन)	डीजल का निर्यात (1,000 मीट्रिक टन)	डीजल का उपभोग (1,000 मीट्रिक टन)	डीजल के उपभोग में वृद्धि (प्रतिशत)
2002-03	40,254	106	3,178	36,645	0.3%
2003-04	43,129	100	6,181	37,074	1.2%
2004-05	46,081	814	7,286	39,650	6.9%
2005-06	47,730	801	8,504	40,191	1.4%
2006-07	53,676	968	11,369	42,896	6.7%
2007-08	58,482	2,951	14,308	47,669	11.1%
2008-09	64,139	2,742	14,720	51,710	8.5%
2009-10	73,249	2,531	18,451	56,242	8.8%
2010-11	77,684	2,073	20,335	60,071	6.8%
2011-12	82,929	1,051	20,407	64,750	7.8%
अप्रैल-सितम्बर 2012*	43,909	567	9,630	34,175	10.5%

*अनंतिम

ग्राफ-2: डीजल का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)

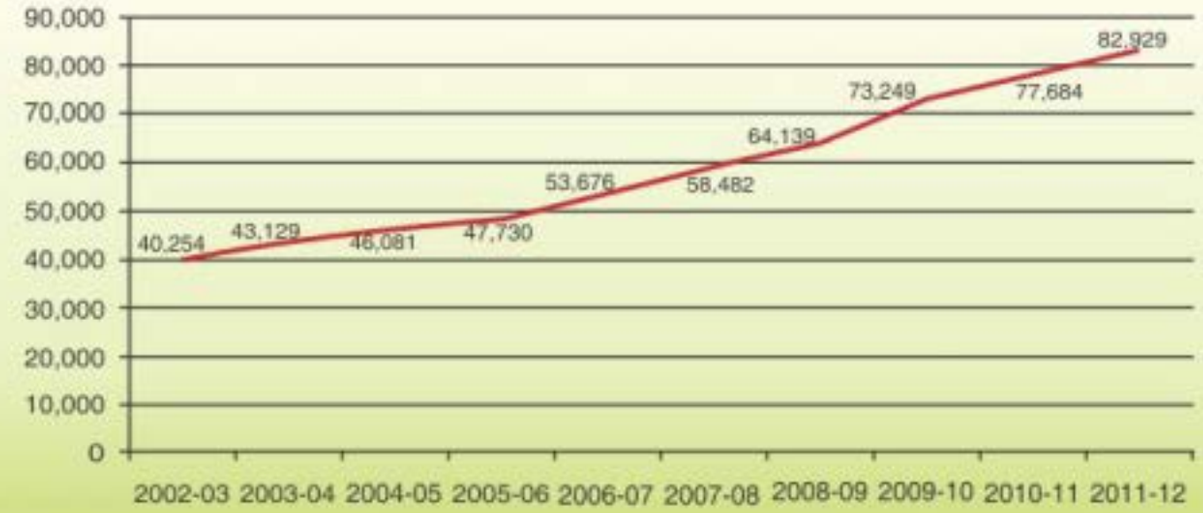

ग्राफ-3: डीजल का आयात (हजार मीट्रिक टन)

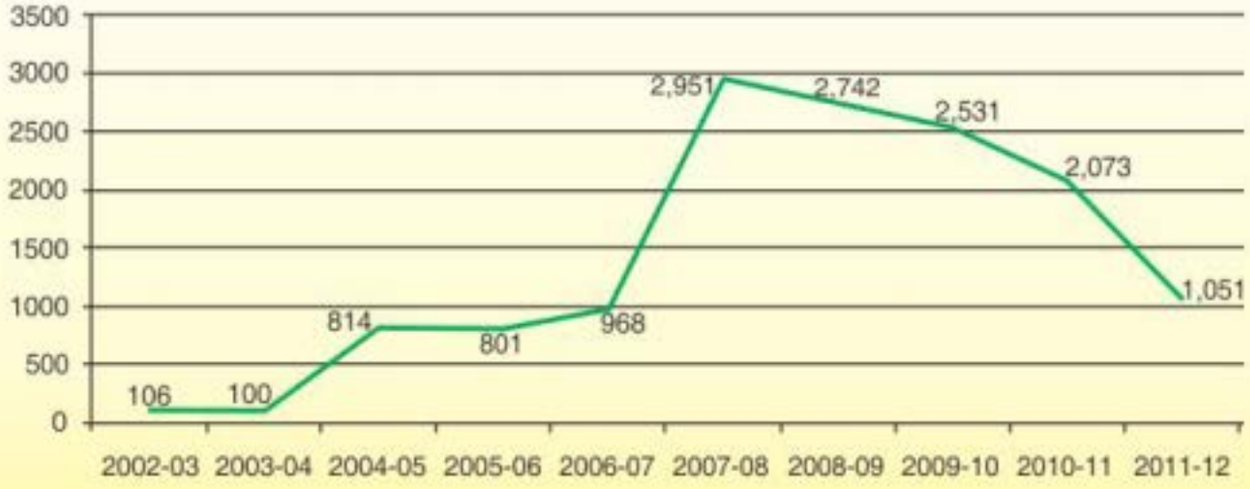

ग्राफ-4: डीजल का निर्यात (हजार मीट्रिक टन)

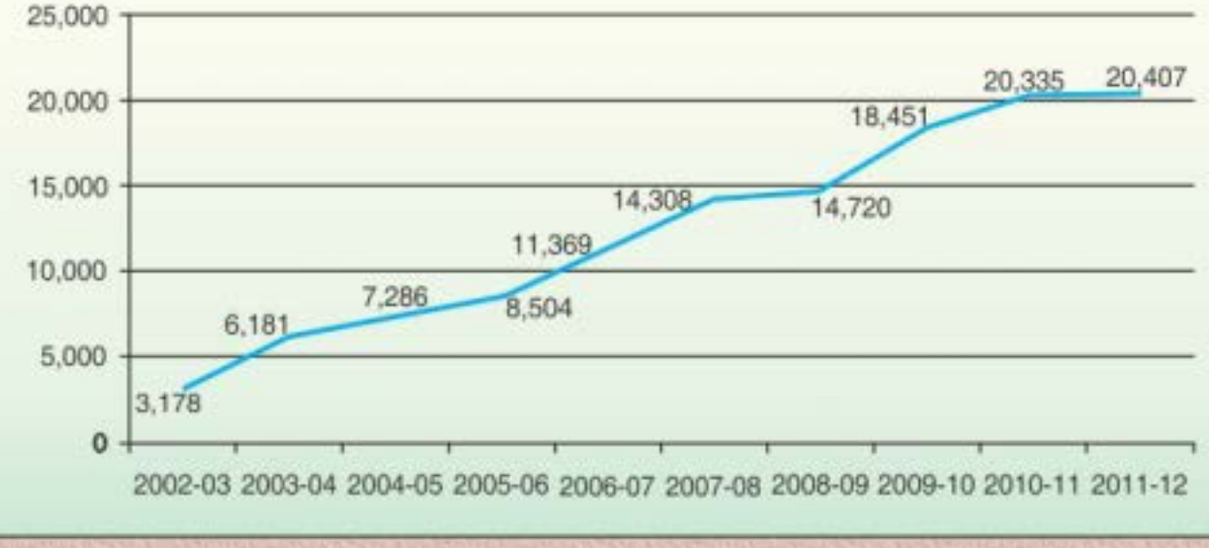

डीजल का मूल्य निर्धारण

1976 से 2002 की अवधि के दौरान विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत लाया गया जो कि 'लागत' और 'अन्य व्यय' (कॉस्ट प्लस) सिद्धान्त पर आधारित था जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की लागत (मूल्य निर्धारण, तेलशोधन, विपणन आदि) सभी को शामिल किया जाता है। तथापि, एपीएम को दीर्घावधि विकास और तेल उद्योग की कार्यकुशलता के लिए काफी हद तक अनुपयुक्त पाया गया। अतः, सरकार ने एक वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र विकसित करने के लिए तेल उद्योग का पुनर्गठन संबंधी एक रणनीतिक आयोजक समूह (आर-समूह) का गठन किया। आर-समूह के प्रतिवेदन (सितम्बर 1996) के आधार पर सरकार ने अप्रैल 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से एपीएम को समाप्त करने का निर्णय लिया और पेट्रोलियम उत्पादों के कॉस्ट प्लस मूल्य निर्धारण को आयात समता मूल्य निर्धारण (आईपीपी)[1] से प्रतिस्थापित किया गया। तदुपरांत, जून 2006 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण को आयात समता मूल्य निर्धारण से बदलकर व्यापार समता मूल्य निर्धारण (टीपीपी)[2] अर्थात् आयात समता मूल्य का 80 प्रतिशत और निर्यात समता मूल्य (ईपीपी) का 20 प्रतिशत कर दिया।[3]

[1] आयात समता मूल्य (आईपीपी): आयात समता मूल्य उस मूल्य को दर्शाता है जो कि आयातक संयंत्र भारतीय पत्तनों पर डीजल के वास्तविक आयात करने के लिए देंगे।

[2] निर्यात समता मूल्य (ईपीपी): निर्यात समता मूल्य उस मूल्य को दर्शाता है जो कि तेल कंपनियां डीजल के निर्यात पर वसूल करेंगी अर्थात् उत्पाद का एफओबी मूल्य और अग्रिम लाइसेंस लाभ (एएलबी) (शोधित उत्पादों के निर्यात के पश्चात् करने तेल के शुल्क मुक्त आयात हेतु) 25.6.2011 से करने तेल पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिए जाने के पश्चात्, वर्तमान में एएलबी शून्य है।

[3] व्यापार समता मूल्य (टीपीपी): रंगराजन समिति प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर 16.6.2006 से प्रभावी, व्यापार समता मूल्य, आयात समता मूल्य का 80% और निर्यात समता मूल्य का 20% है।

डीजल का मूल्य अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रति लीटर डीजल का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है इसका ब्यौरा तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका-3: दिल्ली के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर डीजल का मूल्य निर्धारण (घटक-वार स्पष्टीकरण)

क्र. सं.	घटक	इकाई	16 फरवरी, 2013 से प्रभावी
1.	गैस ऑयल 0.05% सल्फर हेतु एफओबी एजी मूल्य [पोत पर्यंत नि:शुल्क मूल्य: एफओबी, प्लैट्स एंड ऑग्स प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित प्रीमियम/छूट सहित अरब की खाड़ी में गैस ऑयल के दैनिक दर का पूर्व पाक्षिक हेतु औसत निकाला जाता है]	$/बीबीएल	129.79
2.	गैस ऑयल 0.05% सल्फर हेतु व्यापार प्रीमियम एजी मूल्य	$/बीबीएल	2.65
3.	बीएस-3 ग्रेड हेतु प्राप्त क्वालिटी प्रीमियम	$/बीबीएल	0.28
4.	अरब खाड़ी से भारतीय पत्तनों तक समुद्री भाड़ा [समुद्री भाड़ा: एएफआरए हेतु समायोजित विश्व स्तरीय माल भाड़ा दर के अनुसार अरब की खाड़ी से गंतव्य भारतीय पत्तनों तक समुद्री भाड़ा]	$/बीबीएल	2.17
5.	सीएंडएफ (लागत और भाड़ा) मूल्य 1 से 4 का योग अथवा	$/बीबीएल रु./लीटर	134.89 44.78
6.	आयात प्रभार [आयात प्रभार: बीमा शुल्क, समुद्री हानि, साख पत्र (एलसी) प्रभार उत्पादों के आयात पर लागू पत्तन देनदारियां]	रु./लीटर	0.41
7.	सीमा शुल्क [सीमा शुल्क: डीजल पर 2.50% सीमा शुल्क + 3% शिक्षा उपकर लागू है]	रु./लीटर	1.17
8.	आयात समता मूल्य (5 से 7 का योग) [आयात समता मूल्य (आईपीपी): आईपीपी उस मूल्य को दर्शाता है जो कि आयातक संगत भारतीय पत्तनों पर डीजल का वास्तविक आयात करते समय देंगे]	रु./लीटर	46.36
9.	निर्यात समता मूल्य [निर्यात समता मूल्य (ईपीपी): ईपीपी उस मूल्य को दर्शाता है जो कि तेल कंपनियां डीजल के निर्यात पर प्राप्त करेंगी अर्थात् उत्पाद (क्र.सं. 1) का एफओबी मूल्य और अग्रिम लाइसेंस लाभ (एएलबी) (शोधित उत्पादों के निर्यात के पश्चात् कच्चे तेल के शुल्क मुक्त आयात हेतु) कच्चे तेल पर 25.6.2011 से सीमा शुल्क समाप्त किए जाने के पश्चात् वर्तमान में एएलबी शून्य है]	रु./लीटर	44.06
10.	व्यापार समता मूल्य [(8) का 80%+ (9) का 20%)] [व्यापार समता मूल्य (टीपीपी): व्यापार समता मूल्य रंगराजन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार 16.6.2006 से आईपीपी का 80% और ईपीपी का 20% है]	रु./लीटर	45.90
11.	बीएस-3 डीजल हेतु रिफाइनरी अंतरण मूल्य (आरटीपी) तेल विपणन कंपनियों द्वारा रिफाइनरियों को दिया जाने वाला मूल्य [रिफाइनरी अंतरण मूल्य (आरटीपी): व्यापार समता मूल्य पर आधारित आरटीपी वह मूल्य है जो कि तेल विपणन कंपनियां, रिफाइनरी के गेट पर डीजल की खरीद हेतु घरेलू रिफाइनरियों को देती है]	रु./लीटर	45.90

क्र. सं.	घटक	इकाई	16 फरवरी, 2013 से प्रभावी
12.	जमा: बीएस-3 के स्थान पर बीएस-4 ग्रेड हेतु प्राप्त प्रीमियम	रु./लीटर	0.04
13.	जमा: अन्तर्देशीय मालभाड़ा और सुपुर्दगी प्रभार: [अन्तर्देशीय मालभाड़ा और सुपुर्दगी प्रभार: इसमें पत्तनों से अन्तर्देशीय स्थानों तक औसत मालभाड़ा और खुदरा बिक्री केन्द्रों तक सुपुर्दगी प्रभार शामिल है]	रु./लीटर	0.85
14.	जमा: ओएमसी की विपणन लागत [विपणन लागत: विपणन लागत और लाभ लागत लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2006 के विपणन लागत अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार है]	रु./लीटर	0.67
15.	जमा: ओएमसी का विपणन लाभ [विपणन लाभ: विपणन लागत और लाभ लागत लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2006 के विपणन लागत अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार है]	रु./लीटर	0.71
16.	कुल वांछित मूल्य: (11 से 15 तक का योग)—उत्पाद शुल्क, वैट और डीलर कमीशन से पहले	रु./लीटर	48.17
17.	तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूली को छोड़कर [तेल विपणन कंपनियों को अल्प वसूली: वांछित मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर (उत्पाद शुल्क, वैट और डीलर कमीशन के अतिरिक्त) ओएमसी की अल्प वसूली को दर्शाता है]	रु./लीटर	10.27
18.	डीलर से लिया जाने वाला मूल्य (डिपो मूल्य) (16-17) उत्पाद शुल्क और वैट के अतिरिक्त [उत्पाद शुल्क: डीजल पर 3.46 रु./लीटर उत्पाद शुल्क + 3% शिक्षा उपकर लागू है]	रु./लीटर	37.90
19.	जमा: 3.56 रु./लीटर की दर पर विशेष उत्पाद शुल्क (3.46 रु./लीटर + 3% शिक्षा उपकर)	रु./लीटर	3.56
20.	जमा: डीलर कमीशन [डीलर कमीशन: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2011 से डीजल पर 912 रु./केएल डीलर कमीशन निर्धारित किया गया है]	रु./लीटर	1.09
21.	जमा: दिल्ली हेतु 12.5% की दर पर वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित) और 250 रु./केएल की दर पर एयर एम्बिएंस प्रभार लागू है। [वैट (बिक्री कर): संगत राज्यों में लागू खुदरा बिक्री पर वैट। यह हर राज्य में अलग-अलग होता है। वर्तमान में दिल्ली में डीजल पर राज्य करों में 12.50% की दर पर वैट + रु. 250/केएल एयर एम्बिएंस प्रभार लागू है]	रु./लीटर	5.60
22.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (18 से 21 तक का योग)	रु./लीटर	48.16

अप्रैल, 2002 में एपीएम को समाप्त करने के पश्चात् चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ दिए गए थे अत:, सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में संशोधन किया। तथापि, 2004 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत सरकार ने डीजल सहित संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में उतार-चढ़ाव लाना आरंभ कर दिया। 2004-05 से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीतिकारी स्थिति के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए डीजल सहित इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को कम स्तर पर बनाए रखा गया।

वर्ष 2002-2003 से 2011-2012 के दौरान भारत की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के मूल्यों में वृद्धि की तुलना सारणी-4 में दी गई है:

सारणी-4: अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय (दिल्ली) बाजारों में डीजल के मूल्य

वर्ष/अवधि	$/बीबीएल	वर्ष/अवधि	रु./लीटर
मार्च -2002	23.27	01.04.02	16.59
2002-03	28.86	01.04.03	22.12
2003-04	30.39	01.04.04	21.74
2004-05	46.91	01.04.05	28.22
2005-06	64.70	01.04.06	30.47
2006-07	74.12	01.04.07	30.25
2007-08	92.91	01.04.08	31.76
2008-09	101.75	01.04.09	30.86
2009-10	74.67	01.04.10	38.10
2010-11	95.66	01.04.11	37.75
2011-12	125.38	01.04.12	40.91
2012-13 (15.1.2013 तक)	121.22	वर्तमान खुदरा विक्रय मूल्य	48.16

ग्राफ 7: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के मूल्य ($/बीबीएल)

ग्राफ 8: दिल्ली, भारत में डीजल के मूल्य (रु./लीटर)

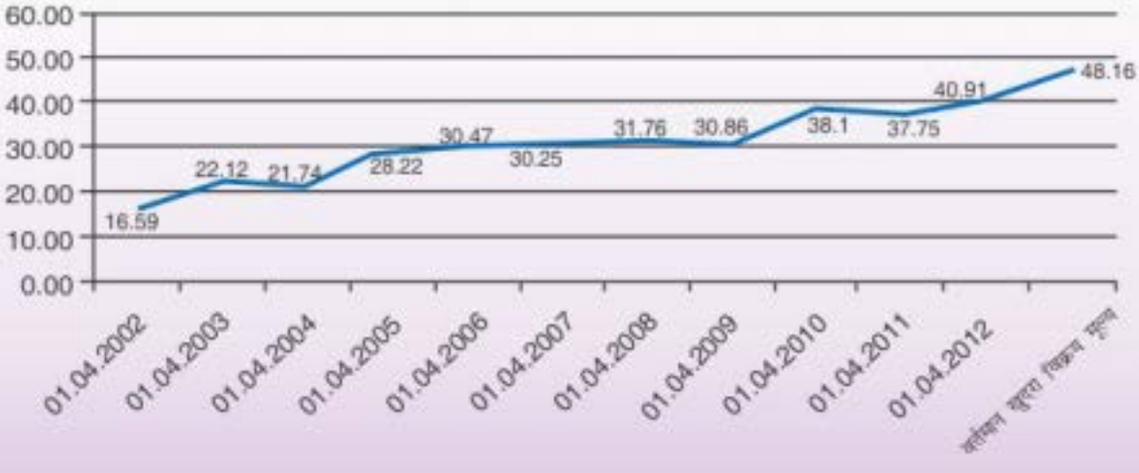

उपर्युक्त आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में डीजल के मूल्यों की तुलना में वर्ष 2012-13 में डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में 299 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 1 अप्रैल 2004 को यथाप्राप्त डीजल के खुदरा मूल्य की तुलना में 2012-13 में डीजल के खुदरा विक्रय मूल्य में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डीजल के मूल्यों और अल्प वसूली पर राजसहायता

राजसहायता सरकार के पास एक सबसे सशक्त नीतिगत साधन है। इनका उपयोग दशकों से अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अस्थिरता से अपने उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से ऊर्जा में राजसहायता दे रहा है और नागरिकों विशेषकर गरीबों को ऊर्जा तक पहुंच का प्रावधान कर रहा है। तथापि, ऊर्जा राजसहायता से सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ता है। यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी राजसहायता तैयार उत्पादों के कम मूल्यों के रूप में प्रदान की जाती है फिर भी सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपगत कुल अल्प वसूली के लिए आंशिक मुआवजों के रूप में नकद सहायता प्रदान की जाती है।

चूंकि संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा विक्रय मूल्य सरकार द्वारा विनियमित किए गए थे इसलिए सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने डीजल और ऐसे अन्य विनियमित उत्पादों की बिक्री पर कम वसूली को अपने ऊपर ले लिया। वर्ष 2005-06 से डीजल की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपगत प्रति इकाई और समग्र अल्प वसूली का विवरण सारणी-5 और 6 में दिया गया है।

सारणी-5: वर्ष 2005-06 से डीजल की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपगत अल्प वसूली

वर्ष	डीजल संबंधी अल्प वसूली		सभी विनियमित उत्पादों संबंधी अल्प वसूली
	रु./लीटर	कुल (करोड़ रुपये)	करोड़ रुपये
2005-06	2.9	12,647	40,000
2006-07	3.85	18,776	49,387
2007-08	6.31	35,166	77,123
2008-09	8.46	52,286	103,292
2009-10	1.4	9,279	46,051
2010-11	4.91	34,706	78,190
2011-12	10.39	81,192	138,541

ग्राफ 9: डीजल संबंधी अल्प वसूली (रु./लीटर)

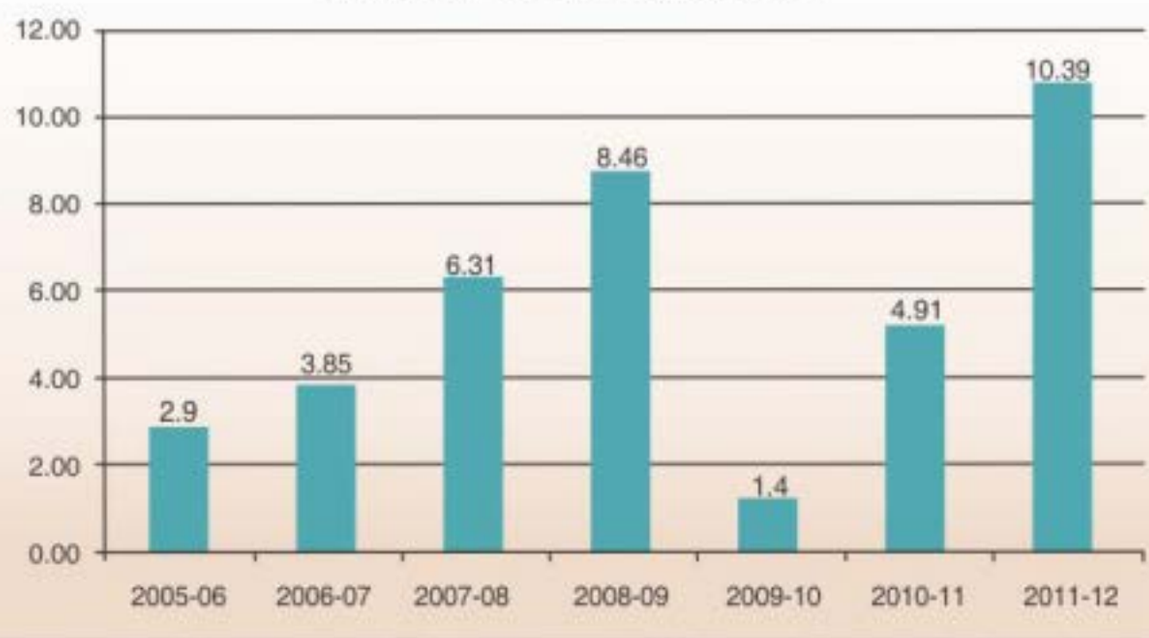

ग्राफ 10: डीजल संबंधी अल्प वसूली (करोड़ रुपये में)

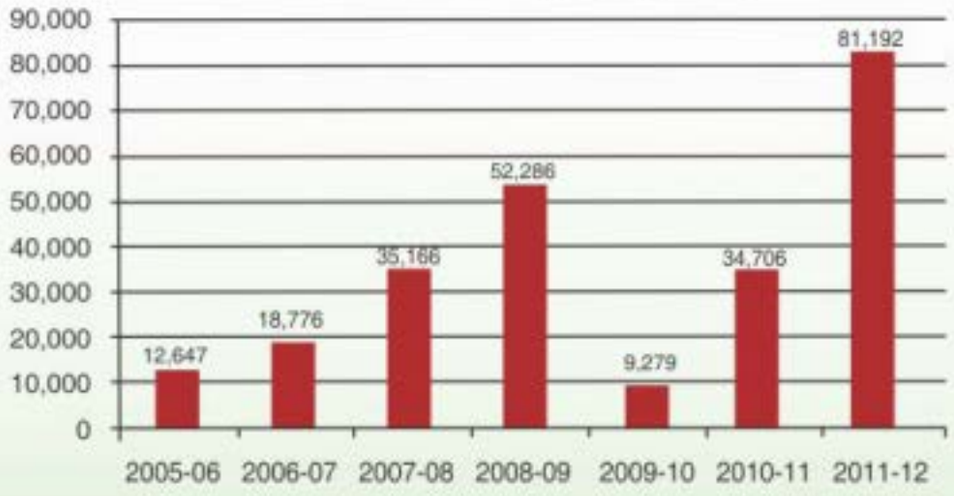

सारणी-6: वर्ष 2005-06 से समग्र अल्प वसूली में डीजल का हिस्सा

वर्ष	समग्र अल्प वसूली में डीजल का हिस्सा (प्रतिशत)
2005-06	32
2006-07	38
2007-08	46
2008-09	51
2009-10	20
2010-11	44
2011-12	59

ग्राफ 11: समग्र अल्प वसूली में डीजल का हिस्सा (प्रतिशत)

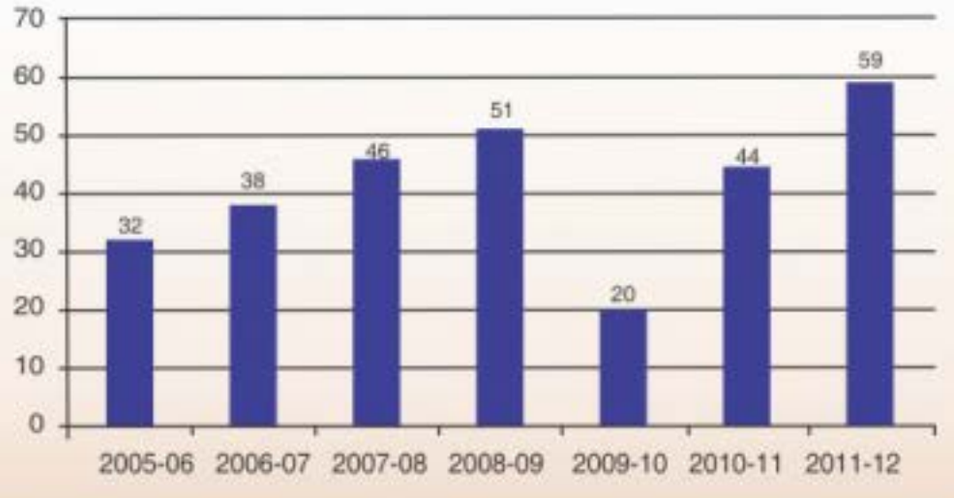

डीजल जैसे संवेदनशील उत्पादों पर सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपगत अल्प वसूली का सरकार द्वारा (तेल विपणन कंपनियों को तेल बांडों और नकद सहायता के जरिए) और वित्तीय भार में हिस्सेदारी के तंत्र के तहत (अशोधित और उत्पादों पर छूट के जरिए) अन्वेषण और उत्पादन में कार्यरत अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है।

डीजल, पीडीएस किरोसिन और घरेलू रसोई गैस पर सतत उच्च अल्प वसूली और अपेक्षित बजटीय सहायता के समय पर प्राप्त न होने के दृष्टिगत सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक विपणन ऋणों का आश्रय ले रही हैं। 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार तेल कंपनियों का समन्वित ऋण 169,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। इन ऋणों में से अधिकतर ऋण इन कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। वर्ष 2011-12 में तेल विपणन कंपनियों का कर पश्चात् संयुक्त लाभ (पीएटी) केवल 6,177 करोड़ रुपये था जो उनके 8,22,828 करोड़ रुपये के कुल कारोबार का मात्र 0.7% था। कम वसूली के कारण सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों से प्राप्त मोटे मुआवजे के परिणामस्वरूप ही सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां लाभ दर्शाने में सफल हुई हैं। सरकार तथा अपस्ट्रीम कंपनियों के सहयोग के बिना तेल विपणन कंपनियां देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पातीं और जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अत्यधिक हानि उठानी पड़ती:—

तालिका-7: सरकारी सहायता और अपस्ट्रीम रियायतों के बिना तेल विपणन कंपनियों को होने वाले घाटे

(करोड़ रुपये)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
तेल विपणन कंपनियों के कर पश्चात् संयुक्त लाभ (पीएटी)	5,625	10,876	9,679	4,261	13,060	10,531	6,177
कराधान के उपबंध	1,805	4,344	4,107	1,784	5,537	3,323	680
कर पूर्व लाभ	7,430	15,220	13,786	6,045	18,597	13,855	6,857
प्राप्त मुआवजे की राशि घटाना							
आयलबांड/बजटीय सहायता	11,500	24,121	35,290	71,292	26,000	41,000	83,500
अपस्ट्रीम सहायता	14,000	20,507	25,708	32,000	14,430	30,297	55,000
कुल मुआवजा	25,500	44,628	60,998	103,292	40,430	71,297	1,38,500
मुआवजे के बिना तेल विपणन कंपनियों के घाटे	–18,070	–29,408	–47,212	–97,247	–21,833	–57,442	–1,31,643

ग्राफ 12: तेल विपणन कंपनियों को दिया गया कुल मुआवजा (करोड़ रुपये)

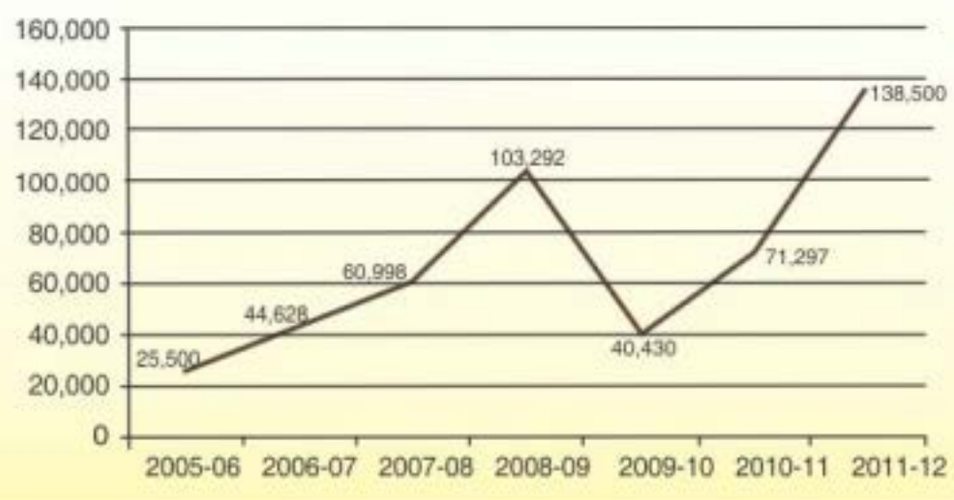

डीजल मूल्यों के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय

17 जनवरी, 2013 को राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को (क) डीजल पर आर्थिक सहायता को धीरे-धीरे कम करने के लिए डीजल के खुदरा विक्रय मूल्य में 40-50 पैसा प्रति लीटर (अलग-अलग राज्यों/संघ शासित राज्यों में लागू वैट को छोड़कर) वृद्धि करने (ख) तुरंत प्रभावी गैर-आर्थिक सहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्यों पर तेल विपणन कंपनियों से सीधे बड़ी मात्रा में डीजल लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को डीजल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तथापि तेल विपणन कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को की जाने वाली इस प्रकार की सीधी बिक्री पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।

निष्कर्ष

यह अनुभव किया गया है कि मूल्य निर्धारण और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को समाप्त करने से सरकारी वित्त में सुधार हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी धन में बचत होगी जिसका प्रयोग विकास संबंधी अन्य व्ययों के लिए किया जा सकता है। मूल्य सुधार से पूरे तेल क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे तेल शोधक और विपणन कंपनियों के ऋणों और ब्याज व्यय में भी कमी आयेगी साथ ही इससे अन्वेषण तथा उत्पाद संबंधी गतिविधियों में निवेश करने के लिए अपस्ट्रीम कंपनियों के पास धन की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त डाउन स्ट्रीम कंपनियों को बेहतर और अपेक्षाकृत साफ आटोमेटिव ईंधन के उत्पादन हेतु निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ईंधन के बाजार आधारित मूल्य निर्धारण से पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बाजार में निजी उद्यमियों के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ईंधनों के कुशल मूल्य निर्धारण से विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बाजार में प्रतिस्पर्धा का सृजन होगा तथा स्वच्छ और अपेक्षाकृत अधिक कुशल ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

संदर्भ

1. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कम्युनिकेशन संख्या पी-20029/1/2013-पीपी दिनांक 15 फरवरी, 2013
2. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वार्षिक प्रतिवेदन, 2011-12
3. राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान, भारत में डीजल का मूल्य निर्धारण: नीति निर्धारण से उलझाव, नई दिल्ली, 2012
4. राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान, पेट्रोलियम उत्पादों के कराधान का औचित्य, नई दिल्ली, 2008
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट, http://petroleum.nic.in
6. अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान, ए सिटीजन्स गाइड टू एनर्जी सब्सिडीस इन इंडिया, 2012

यह सूचना बुलेटिन संसद सदस्यों के संसदीय कार्य में सहायता देने हेतु शोध एवं सूचना प्रभाग के ई एंड एफ ए विंग द्वारा तैयार किया गया है। यह मुख्य रूप से प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है और इसका आशय पृष्ठाधार जानकारी प्रदान करना है। इस संबंध में सुझावों का स्वागत है। ये सुझाव efa-lss@sansad.nic.in पर भेजे जा सकते हैं।